

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन(ग्रुप-2)विभाग

क्रमांक :- प.2(1)साप्र/2/18

जयपुर, दिनांक :

23 MAR 2018

:- आदेश :-

निम्नांकित अधिकारियों को उनकी द्वितीय श्रेणी में वरीयता संख्या के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के प्रावधानानुसार निम्नानुसार शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन किये जाते हैं:-

क्र. सं.	वरीयता संख्या	नाम व पद	सेवानिवृत्ति दिनांक	आवंटित आवास
1	2	3	4	5
1.	34/2012	डॉ० संगीता ठकुरानी सहायक आचार्य (प्लास्टिक सर्जरी) सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर	30.6.2040	एम-6 गांधीनगर प्रथम तल
2.	13/2013	श्री अंजनी कुमार शर्मा सहायक आयुक्त, वृत्त एल वाणिज्यिक कर विभाग जयपुर	31.8.2026	II/19 गांधीनगर प्रथमतल
3.	15/2013	श्री बाबूलाल कटारा संयुक्त निदेशक, आयोजना (वित्त), शासन सचिवालय, जयपुर	30.11.2024	एन-24 गांधीनगर प्रथमतल
4.	19/2013	डॉ० अखिलेश कुमार चिकित्सा अधिकारी, ब्लड बैंक, सवाई मानसिंह, चिकित्सालय, जयपुर	30.6.2034	6/5 हीराबाग द्वितीयतल
5.	25/2013	डॉ० महिपाल सिंह सहायक आचार्य, निश्चेतन सवाई मानसिंह चिकित्सालय एवं महाविद्यालय, जयपुर	30.11.2040	5/6 हीराबाग द्वितीयतल
6.	31/2013	डॉ० बी.के. माथुर अतिरिक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान, जयपुर	31.7.2020	603, मॉडल टाउन, मालवीय नगर, जयपुर तृतीय तल
7.	39/2013	श्री मोहम्मद अबूबक्र आर.ए.एस. अतिरिक्त जिला कलेक्टर, जयपुर उत्तर, जयपुर	31.8.2039	II/50 गांधीनगर प्रथमतल
8.	43/2013	डॉ० शशि कला जैन वरिष्ठ चिकित्साधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजकीय चिकित्सालय, तोपखाना, हजूसी, जयपुर शहर, जयपुर।	31.8.2019	II/56, एवीएस, गांधीनगर प्रथमतल
9.	46/2013	श्री रामकरण आमेरिया संयुक्त निदेशक, उद्योग विभाग, जयपुर	30.6.2024	II/58, एवीएस गांधीनगर, जयपुर।
10.	47/2013	डॉ० संदीप परवाल सहायक आचार्य, ऑपथालमॉलोजी, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर	30.4.2043	2/6 हीराबाग द्वितीयतल
11.	48/2013	श्री आदर्श चौधरी आर.पी.एस. अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, जयपुर	30.9.2035	2/5 हीराबाग द्वितीयतल
12.	50/2013	डॉ० जीतम सिंह मीणा सहायक आचार्य, शिशु औषध, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	30.11.2039	604 मॉडल टाउन चतुर्थतल मालवीय नगर
13.	51/2013	डॉ० नरेन्द्र मोहन सिंह अतिरिक्त निदेशक, (फार्म व सम्पदा) पशुपालन विभाग, जयपुर	30.11.2023	704 मॉडल टाउन चतुर्थ तल मालवीय नगर
14.	52/2013	डॉ० रेखा बाछीवाल सहायक आचार्य माइक्रोबायोलॉजी सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर	30.6.2028	303 मॉडल टाउन तृतीयतल मालवीय नगर
15.	67/2013	श्री दीपक गोयल सहायक आचार्य कॉन्जरवेटिव डेन्टिसटरी (डेण्टल) राजकीय दन्त चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर	31.7.2046	402 मॉडल टाउन द्वितीयतल मालवीय नगर

2

16.	68/2013	डॉ० सतीश चन्द मीणा सहायक आचार्य, एनेस्थेसियोलॉजी निश्चेतन प्रक्रिया विभाग, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर	31.7.2034	103 मॉडल टाउन तृतीयतल मालवीय नगर
17.	70/2013	डा० दिलीप सिंह सीएस पीजी बायोकेमेस्ट्री सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर	31.8.2028	601 मॉडल टाउन प्रथमतल मालवीय नगर
18.	73/2013	डा० कमलेश मीणा मेडिकल आफिसर पीएसएम विभाग, सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर	30.6.2034	702 मॉडल टाउन द्वितीयतल मालवीय नगर
19.	75/2013	डा० सैयद यावर हुसैन सहायक आचार्य डेन्टल मेटेरियल राजकीय दन्त महाविद्यालय एवं चिकित्सालय जयपुर	31.3.2032	605 मॉडल टाउन पंचमतल मालवीय नगर
20.	79/2013	श्रीमती मोनिका चौधरी एसीपी (उप निदेशक), इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एण्ड कम्प्यूनिकेशन, विभाग, राजस्थान, जयपुर	31.3.2042	301 मॉडल टाउन मालवीय नगर
21.	80/2013	डॉ० सुधांशु सनादय सहायक आचार्य, जन स्वास्थ्य विभाग, राजकीय दन्त महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, जयपुर	31.7.2044	204 मॉडल टाउन मालवीय नगर
22.	83/2013	श्रीमती सुमन सिंह, सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर।	31.8.2022	403 मॉडल टाउन, तृतीयतल, मालवीयनगर
23.	92/2013	श्री सुरेश चन्द गुप्ता, आयुर्वेद चिकित्साधिकारी, कार्यालय जिला आयुर्वेद अधिकारी 'ब' क्षेत्र, जयपुर।	31.07.2023	205, मॉडल टाउन, मालवीय नगर, जयपुर।

शर्त :-

1. आवास का कब्जा आवंटन/रिक्त की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आवेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने /क्रय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी-चूंकि उक्त कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:-  
(1) आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।  
(2) आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम पर जयपुर में निजी आवास निर्मित/क्रय नहीं किया है।
8. क्रम संख्या 6, 8, 9 एवं 12 से 23 पर अंकित आवंटियों से कॉमन सुविधा राशि रुपये 300/- (अक्षर राशि रुपये तीन सौ मात्र) प्रतिमाह सीधे ही इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा होंगे।
9. उपरोक्त के अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होंगी।

राज्यपाल की आज्ञा से.



(गौरव बजाड़)  
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-4) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
3. आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
4. आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
5. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।

6. उपनिदेशक, आयुर्वेद 'ब' क्षेत्र, आयुष भवन, NRI सर्किल, प्रतापनगर, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
7. निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
8. पुलिस आयुक्त, पुलिस आयुक्तालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
9. अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
10. प्राचार्य, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
11. प्रभारी, राजकीय चिकित्सालय, तोपखाना, हजुरी, जयपुर शहर, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
12. आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
13. प्राचार्य, राजकीय दन्त चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
14. वित्तीय सलाहकार कार्मिक (ग) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।
15. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
16. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-तृतीय (मुख्यालय) जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस आवंटन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की आवश्यक पूर्ति करने के पश्चात् ही आवंटन की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
17. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
18. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
19. प्रोग्रामर सहायक, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
20. सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
21. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, (मुख्यालय) जयपुर।
22. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, गांधीनगर, जयपुर।
23. अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, रामबाग सर्किल, जयपुर।
24. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गाँधीनगर/हीराबाग, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लेकबोर्ड पर चस्पा करावें साथ ही आवंटी के द्वारा कब्जा लेने/रिक्त देनांक की सूचना निदेशक सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय जयपुर को भी भिजवाये।
25. संबंधित अधिकारी को प्रेषित कर लेख है कि आवंटित आवास का कब्जा लेने से पूर्व इस आवंटन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की अपने स्तर पर आवश्यक पूर्ति कर अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-तृतीय (मुख्यालय) जयपुर को सम्मिलवाने के पश्चात् ही कब्जा प्राप्त करेंगे।
26. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, साप्रवि।
27. रक्षित पत्रावली।



उप शासन सचिव

राजकीय आवास के आवंटी संलग्न प्रपत्र में शपथपूर्वक सूचना अंकित करते अपने नियुक्ति अधिकारी/ विभागाध्यक्ष से प्रमाणित कराते हुये सार्वजनिक निर्माण विभाग की संबंधित चौकी में आवंटित राजकीय आवास का कब्जा लेते समय प्रस्तुत करेंगे। संबंधित सहायक अभियन्ता द्वारा आवंटी से प्राप्त उक्त प्रपत्र अनुसार आवंटन हेतु पात्र होने पर ही कब्जा प्रदान किया जावेगा तथा आवंटन आदेश जारी होने के 15 दिवस में कब्जे की रिपोर्ट के साथ प्रपत्र आवश्यक रूप से इस विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करावेंगे।

प्रपत्र में असत्य सूचनाओं के आधार पर आवंटन निरस्त किया जा सकता है तथा कब्जे की तिथि से प्रचलित बाजार किराया दर वसूलनीय होगा।

**प्रपत्र**

1.	नाम अधिकारी/कर्मचारी	
2.	वर्तमान पद एवं पदस्थ न विवरण	
3.	जन्म दिनांक	
4.	सेवानिवृत्ति दिनांक	
5.	जयपुर शहर में राजकीय आवास हेतु जयपुर शहर में निरन्तर रूप से पदस्थापित है? जयपुर में आवास हेतु आवदेन किया जाने के पश्चात् लगातार जयपुर में ही पदस्थापित रहे है। इस माध्य में स्वयं का जयपुर से बाहर स्थानान्तरण एवं पदस्थापन नहीं हुआ है।	
6.	आवंटी का जयपुर शहर में कोई स्वयं/पत्नि व उन पर आश्रित किसी सदस्य के नाम निजी आवास नहीं है।	

आवेदक के हस्ताक्षर मय मोबाईल नम्बर

विभागाध्यक्ष /आहरण वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर